

न्यायालय, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

(समक्ष:- वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

हिन्दू विवाह अधिनियम प्र०क्र० 100055/2016

संस्थापन दिनांक 24.08.2016

श्रीमती रचना पत्नी परमाल सिंह, पुत्री यशवन्तलाल बंसल, उम्र 32 वर्ष, निवासी चिनकूपुरा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०	आवेदिका
--	---------

## ॥ विरुद्ध ॥

परमाल सिंह पुत्र रामचरन अटल, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम भुजपुरा, तहसील व जिला भिण्ड म०प्र०	अनावेदक
--	---------

आवेदिका द्वारा – श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता  
अनावेदक द्वारा – श्री आर.एस. त्रिवेदिया अधिवक्ता

## नि-र्ण-य

(आज दिनांक 14/09/2017 को पारित किया गया)

01. आवेदिका की ओर से यह याचिका हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत अनावेदक से हुए विवाह को विच्छेद कराने के संबंध में प्रस्तुत की है।
02. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका का विवाह अनावेदक के साथ दिनांक 22.05.1998 में सम्पन्न हुआ था एवं उनके संसर्ग से एक पुत्र नैतिक का जन्म हुआ है।
03. आवेदिका की ओर से प्रस्तुत याचिका संक्षेप में इस प्रकार है कि उसका विवाह अनावेदक के साथ दिनांक 22.05.1998 में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार ग्राम चिनकू पुरा तहसील गोहद में सम्पन्न हुआ था और विवाह के पश्चात् आवेदिका अनावेदक के साथ अपनी ससुराल में रही और दोनों के संसर्ग से एक पुत्र नैतिक का जन्म हुआ, जो कि वर्तमान में 10 वर्ष का है और आवेदिका के पास रह रहा है जिसका भरणपोषण आवेदिका के द्वारा ही किया जा रहा है।

अनावेदक के द्वारा उसे पूर्व में परेशान किया गया था, लेकिन समाज के लोगों ने आपस में सुलह समझौता करा दिया था, लेकिन उसके पश्चात् भी अनावेदक की आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ और वह आए दिन शराब पीकर आवेदिका की मारपीट करता था। आवेदिका ने मुश्किल से पढाई कर ए.एन.एम की ट्रेनिंग कर जिला चिकित्सालय दतिया में ए.एन.एम की नौकरी कर रही है। अनावेदक उसके साथ नहीं रहता है और आए दिन पैसों की मांग करता रहता है और शराब पीकर उसकी मारपीट करता था। दिनांक 10.07.2016 को जब आवेदिका अपने माता पिता के पास ग्राम चिनकू पुरा में थी वहाँ अनावेदक आया और आवेदिका से पैसों की मांग मारपीट करने लगा। आवेदिका का अनावेदिका के साथ रहपाना मुश्किल हो गया है और उसके पुत्र का अनावेदक के साथ रहने से भविष्य खराब हो जाएगा। उसका अनावेदक के साथ जीवन यापन करना संभव नहीं है। अतः उसकी ओर से प्रस्तुत याचिका स्वीकार कर उसके पक्ष में आज्ञाप्ति पारित करने की प्रार्थना की है।

04. अनावेदक द्वारा उक्त याचिका के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष कथनों को इन्कार करते हुए निवेदन किया है कि उसकी शादी आवेदिका के साथ सम्पन्न हुई थी। अनावेदक द्वारा कभी भी आवेदिका की मारपीट कर उसके प्रति करता कारित है। अनावेदक अपने पुत्र का भरणपोषण करता था। शादी के बाद अनावेदक अपनी पढाई लिखाई छोडकर आवेदिका की पढाई लिखाई करवाई और उसे ए.एन.एम. की ट्रेनिंग कराई तब जाकर वह ए.एन.एम. की नौकरी कर रही है। नौकरी से पहले आवेदिका उसके साथ अच्छे से रहती थी और नौकरी के पश्चात् उसका व्यवहार बदल गया है और उसे पसंद नहीं करती है तथा किसी अन्य पुरुष के साथ व्यवचारी जीवन व्यतीत करने लगी है। अतिरिक्त आपत्ति में आधार लिया है कि आवेदिका दतिया में ए.एन.एम पद पर पदस्थ रहकर पदमसिंह नाम व्यक्ति जो कि दतिया में म.प्र. पुलिस में आरक्षक है के साथ व्यवचारी जीवन व्यतीत कर रही है। इस संबंध में पदमसिंह की पत्नी राखी ने पदमसिंह व उसके परिवार के विरुद्ध धारा 498ए भा.द.वि का अपराध पुलिस थाना गोहद चौराहा में दर्ज कराया गया है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदिका रचना उसके मेरे पति पदमसिंह के साथ अवैध संबंध बनाए हुए है इसलिए वह उसे

अपने साथ नहीं रखना चाहता है। वर्तमान में अनावेदक की 35 वर्ष उम्र हो चुकी है उसके साथ कोई स्त्री विवाह नहीं करेगी। अतः आवेदिका की ओर से प्रस्तुत याचिका निरस्त करने का निवेदन किया है।

05. प्रकरण में आवेदिका के अधिवक्ता श्री विजय श्रीवास्तव एवं अनावेदक की ओर से श्री आर.एस. त्रिवेदिया अधिवक्ता को सुना गया। आवेदिका की ओर से अपने पक्ष समर्थन में आवेदिका स्वयं रचना आ०सा० 1, भंवर सिंह आ०सा० 2, राकेश आ०सा० 3 एवं अनावेदक की ओर से साक्षी गोपसिंह अना०सा० 1, जगमोहन अना०सा० 2, परमाल सिंह अना०सा० 3 के कथन कराया गया है।

06. प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किए गए हैं जिनका निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके समक्ष अंकित किया जा रहा है :-

क्र.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या अनावेदक के द्वारा आवेदिका को परेशान व प्रताडित कर उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है?	'हाँ'
2	क्या अनावेदक के द्वारा की गई प्रताडना एवं क्रूरता के फलस्वरूप आवेदिका का उसके साथ रह पाना असंभव है?	'हाँ'
	क्या आवेदिका स्वेच्छया पूर्वक अनावेदक के साथ रहने से इन्कार कर रही है।	'नहीं'
4	क्या आवेदिका अनावेदक से विवाह विच्छेद करा पाने की अधिकारी है?	'हाँ'
5	सहायता एवं व्यय?	याचिका स्वीकार, कंडिका 30 के अनुसार।

## // साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष //

वाद प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 के संबंध में निष्कर्ष :-

**नोट:-** उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्न अनावेदक द्वारा आवेदिका के प्रति किए गए कूरतापूर्ण व्यवहार एवं अभित्यजन से संबंधित हैं, ऐसी स्थिति में उक्त सभी वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. आवेदिका की ओर से प्रमुख रूप अपनी याचिका में यह आधार लिया है एवं इस संबंध में आवेदिका की ओर से आवेदिका स्वयं रचना आ०सा० 1, भंवरसिंह आ०सा० 2 एवं राकेश आ०सा० 3 के प्रमुख रूप से कथन रहे हैं कि आवेदिका का अनावेदक से दिनांक 22.05.1998 को विवाह हुआ था। पुत्र के जन्म के पश्चात् से कभी भी अनावेदक आवेदिका के साथ नहीं रहा और न ही उसने उसके लालन पालन में कोई सहयोग किया है। आवेदिका ने बड़ी मुश्किल से ए.एन.एम. की ट्रेनिंग कर नौकरी प्राप्त की और वर्तमान में वह जिला चिकित्सालय दतिया में पदस्थ है, किन्तु कभी भी अनावेदक द्वारा न तो कोई सहायता की गई और न ही कभी आवेदिका के साथ रहा। साक्षी का यह भी कहना रहा है कि अनावेदक कोई कार्य नहीं करता था और दिन भर शराब पीता था और आए दिन आवेदिका के साथ मारपीट करता था।

08. आवेदिका रचना आ०सा० 1 का अपने कथनों में यह भी कहना रहा है कि अनावेदक आवेदिका के साथ कूरता का व्यवहार करता है और आवेदिका से यह कहता है कि उसका चाल चलन बहुत खराब है वह उसे नहीं रखेगा और उस पर चरित्रहीन होकर अन्य पुरुषों के साथ व्यवचारी जीवन व्यतीत करने का आरोप लगाता है। साथ ही पदमसिंह के साथ जीवन यापन करने के झूठा आरोप लगाया है।

09. आवेदिका साक्षी एवं आवेदिका की ओर से लिए गए कथनों के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक की ओर से परीक्षित साक्षी परमाल सिंह अना०सा० 3 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का मूल रूप से अपने कथनों में कहना रहा है कि विवाह के समय आवेदिका वैरोजगार थी और उसने आवेदिका की नौकरी के लिए आर्थिक रूप से मदद की थी और नौकरी लग जाने के पश्चात् आवेदिका के चला चलन, व्यवहार में परिवर्तन हो गया और आवेदिका ने 15

साल पहले भी विवाह विच्छेद की याचिका लगाई थी जिसमें समझौता हो गया था और अब आवेदिका पदमसिंह आरक्षक के साथ पत्नी की तरह रहती है और उसके साथ नहीं रहना चाहती है, जबकि वह आवेदिका के साथ ही रहना चाहता है और अपने कथनों में आवेदिका की ओर से लगाए गए आरोपों से इन्कार किया है। अनावेदक की ओर से साक्षी जगमोहन अना०सा० 2 ने अपने कथनों में साक्षी परमाल अना०सा० 3 के कथनों का समर्थन किया है।

10. प्रकरण के लिए मुख्य रूप विचारणीय प्रश्न यह है कि – क्या अनावेदक ने आवेदिका के प्रति कूरता का व्यवहार किया? यदि इस संबंध में विचार किया जावे तो साक्षी जगमोहन अना०सा० 2 ने अपने कथनों में स्वीकार किया है कि अनावेदक उसका सगा भाई है और अनावेदक के पुत्र नैतिक का जन्म ग्वालियर में हुआ था और आवेदिका रचना नैतिक के जन्म के बाद से ही ईशागढ़ चली गई थी जहाँ वह करीब 11 साल रही और ईशागढ़ से स्थानांतरण करा के दतिया आई थी।

11. यदि इस संबंध में परमाल अना०सा० 3 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो साक्षी परमाल अना०सा० 3 का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह नैतिक के जन्म से ही आवेदिका के साथ रह रहा है, किन्तु आवेदिका दतिया में किस मकान में रह रही है उसे याद नहीं है और आसपास किस के मकान है इस पर साक्षी का यह स्पष्टीकरण रहा है कि वह आसपास के लोगों से मतलब नहीं रखता था इसलिए जानकारी नहीं है, जबकि आवेदिका ने अपने कथनों में स्वीकार किया है कि वह अनावेदक के साथ अंतिम बार दिसम्बर, 2005 में रही थी। अनावेदक यह बता पाने में असमर्थ रहा है कि आवेदिका वर्तमान में कहाँ पदस्थ है और वह कहाँ निवास कर रही है। जिससे यह दर्शित होता है कि अनावेदक लम्बे समय से आवेदिका के साथ निवासरत नहीं रहा है।

12. आवेदिका की ओर से यह आधार लिया गया है कि उसने आवेदिका को नर्स बनाने के लिए पढाई करवाई थी और सहयोग किया था, किन्तु यदि अनावेदक के प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 का अवलोकन किया जाए तो साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि आवेदिका अपने मायके से ही पढ़कर आई थी और उसके बाद उसने उसे कोई पढाई नहीं करवाई और



उसी से आवेदिका की नौकरी लगी है। साथ ही इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि आवेदिका द्वारा उसकी गुण्डों से मारपीट नहीं कराई गई है। जबकि इस साक्षी के मुख्य परीक्षण में एवं याचिका के जवाब में स्वयं के पैसों से नौकरी लगवाने वाली बात एवं आवेदिका ने गुण्डों से मारपीट कराने वाली बात संबंधी तथ्य लेख कराए हैं जिससे ऐसा दर्शित होता है कि अनावेदिका ने अपने जवाब में एवं मुख्य परीक्षण के शपथपत्र में सम्पूर्ण बातें सत्य नहीं लिखाई हैं।

13. आवेदिका ने अनावेदक के प्रति शराब पीकर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में यदि साक्षी भंवरसिंह आ०सा० 2 एवं बाबूलाल आ०सा० 3 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इन साक्षियों ने अपने कथनों में इन तथ्यों की पुष्टि की है कि अनावेदक आवेदिका के साथ आए दिन शराब पीकर मारपीट करता था, साथ ही इन तथ्यों की पुष्टि की है कि उनके पिता की मृत्यु के पश्चात् तैरवी के दिन उनके घर पर अनावेदक ने आवेदिका के साथ मारपीट की थी।

14. प्रकरण में स्वीकृत रूप से आवेदिका की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। आवेदिका की ओर से यह आधार लिया गया है कि उसने अनावेदक के प्रति वर्ष 2003-04 में एक तलाक का मुकद्दमा लगाया था जो अनुपस्थिति में खारिज हो गया था जिससे यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका अनावेदक से लम्बे समय से व्यथित थी। हालांकि दोनों ही पक्षों की ओर से पूर्व मुकद्दमा किस आधार पर दायर किया गया था से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। आवेदिका की ओर से इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि आवेदिका द्वारा पूर्व में अनावेदक के प्रति तलाक का मुकद्दमा प्रस्तुत किया गया था और जिसमें समझौता हुआ था, किन्तु यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि उक्त समझौते के पश्चात् भी आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य लम्बा दाम्पत्य नहीं चला है। आवेदिका ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि वह परमाल के साथ अंतिम बार दिसम्बर 2005 में रही थी।

15. अतः प्रकरण में इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं और जिस प्रकार की साक्ष्य है उससे आवेदिका अपने इन कथनों को संभाव्यता की हद तक प्रमाणित करने में सफल रही है।

अनावेदक का व्यवहार आवेदिका के प्रति शराब पीकर मारपीट का होकर क्रूरतापूर्ण था।

16. प्रकरण में अनावेदक द्वारा आवेदिका के प्रति उसके दुश्चरित्रणी एवं व्यवचारिणी होने के आरोप लगाए हैं और अपने जबाब में यह स्पष्ट कथन रहे हैं कि आवेदिका का पदमसिंह के साथ अनैतिक संबंध है, इस संबंध में अनावेदक की ओर से मुख्य आधार प्र.पी. 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को बताया है, जिसमें पदमसिंह की पत्नी राखी ने थाना गोहद चौराहा में एक रिपोर्ट पदमसिंह के परिवार के विरुद्ध दर्ज कराई और उसमें उसके साथ हुई दहेज प्रताड़ना एवं मारपीट के साथ साथ आवेदिका रचना पर उसके पति पदमसिंह से नाजायज संबंध होने के आरोप भी लगाए हैं, जिसके आधार पर थाना गोहद में अपराध क्रमांक 299/16 दर्ज किया गया है।

17. अनावेदक साक्षियों के कथनों का अवलोकन किया जाए तो अनावेदक साक्षी गोपसिंह यादव अना०सा० 1 ने प्र.पी. 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को केवल इस सीमा तक प्रमाणित किया है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट उनके थाने पर दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख हो जाने के पश्चात् अनुसंधान के उपरांत विवेचना में प्रथम दृष्टिया आवेदिका के पदम सिंह के साथ संबंध होने वाली कोई तथ्य पाए गए हो अथवा अन्य ऐसे कोई तथ्य पाए गए हो जो अनावेदक की ओर से लिए गए आधार को पुष्ट करते हो ऐसा कोई दस्तावेज अनावेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

18. अनावेदक की ओर से परीक्षित साक्षी जगमोहन अना०सा० 2 ने अपने कथनों में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि उसने कभी भी आवेदिका को पदमसिंह के साथ नहीं देखा है और यह सारी बातें उसे उसके भाई ने बताई थी। इस संबंध में यदि परमाल सिंह अना०सा० 3 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का भी ऐसा कहना नहीं रहा है कि उसने कभी भी आवेदिका को पदमसिंह के साथ देखा। यहाँ तक अनावेदक ने आवेदिका पर अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है, किन्तु अनावेदक का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह अन्य किसी आदमी का नाम नहीं बता सकता है।

19. सामान्य रूप से किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना प्रथक विषय है और उन

आरोपों को प्रमाणित करना प्रथम विषय है। अनावेदक ने आवेदिका के प्रति अत्यधिक गंभीर आरोप अपने जबाब में लगाए हैं, किन्तु इस संबंध में अनावेदक की ओर से कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अनावेदक के कथन संभाव्य हैं।

20. निश्चित रूप से किसी स्त्री का विशेष तौर से अपनी पत्नी का चरित्रहीन गंभीर विषय है। प्रायः जिन पति पत्नी के बीच अपने दाम्पत्य संबंध कटुतापूर्ण हो जाते हैं वहाँ इस प्रकार के अनर्गल आरोपी प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। अनावेदक ने आवेदिका के प्रति लगाए गए आरोप के संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराई हो, समक्ष मंच में कोई कार्यवाही की हो, अपने रिस्तेदारों से इस संबंध में चर्चा की हो ऐसी कोई साक्ष्य अनावेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अनावेदक की ओर से लिए गए आधार कि आवेदिका व्यवहारिणी का जीवन व्यतीत कर रही है प्रमाणित नहीं होता है।

21. आवेदिका की ओर से यह आधार लिया गया है कि अनावेदक ने आवेदिका को अभित्यजन के वाध्य किया और उसका अब साथ रहना संभव नहीं है। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-ख) यह स्पष्ट प्रावधान करता है कि अर्जी के पेश किए जाने के कम से कम दो वर्ष पूर्व की निरंतर अवधि तक अर्जीदार को अभित्यक्त रखा है। अभित्यजन आन्वयिक (Constructive) हो सकता है।

22. माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **मंजू रजक वि० परविंदर सिंह 2010(2) जे.एल.जे. 372** में अभित्याग कब और किन परिस्थितियों में माना जा सकता है इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **लक्ष्मण उत्तमचंद कृपलानी वि० मीना उर्फ मोटा ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 40** को उद्धृत किया है, जो अवलोकनीय है।



1- "In the essence desertion means the intentional permanent forsaking and abandonment of one spouse by the other without that other's consent, and without reasonable cause. It is a total repudiation of the obligations of marriage.

If a spouse abandons the other spouse in a state of temporary passion, for example, anger or disgust, without intending permanently to cease cohabitation, it will not amount to desertion. For the offence of desertion, so far as the desertion spouse is concerned, two essential condition must be there, (1) the factum of separation, and (2) the intention to bring cohabitation permanently to an end (animus deserendi). Similarly, two elements are essential so far as the deserted spouse is concerned : (i) the absence of consent, and absence of conduct giving reasonable cause to the spouse leaving the matrimonial home to from the necessary intending aforesaid. Desertion is a matter of inference to be drawn from the facts and circumstances of each case. The inference may be drawn from certain facts which may naot be another case be capable of leading to the same inference; that is to say the fact have to be viewed as to the purpose which is revealed by those acts or by conduct and expression of intention, both anterior and subsequent to the actual acts of separation. If, in fact, there has been a separation,

the essential question always is whether that act could be attributable to an animus deserendi. The offence of desertion commences when the fact of separation and the animus deserendi co-exist. But it is not necessary that they should commence at the same time. The de facto separation may have commenced without the necessary animus or it may be that the separation and the animus deserendi coincide in point of time.

23. प्रकरण में उपरोक्त विवेचन में यह प्रमाणित पाया है कि अनावेदक का आवेदिका के प्रति व्यवहार अत्यन्त क्रूरतापूर्ण था, अनावेदक शराब पीकर आवेदिका के साथ मारपीट करता था। प्रकरण में यह भी प्रमाणित पाया गया है कि अनावेदक ने आवेदिका पर उसके व्यवहारिणी होने के आरोप लगाए हैं जिन्हें वह प्रमाणित नहीं कर सका है। ऐसी स्थिति में इन परिस्थितियों के बीच किसी भी पत्नी का अपने पति के साथ रहना संभाव्य नहीं माना जा सकता है। जहाँ वह मानसिक रूप से इतनी पीड़ा और वेदना के बीच जीवन व्यतीत कर रही है। प्रकरण में यह भी प्रमाणित पाया गया है कि आवेदिका एवं अनावेदक वर्ष 2005 के पश्चात् से प्रथक प्रथक निवास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्पष्टतः प्रकरण की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्य यह प्रमाणित करती है कि अनावेदक के द्वारा किए गए व्यवहार के कारण वही आवेदिका प्रथक रहने के लिए बाध्य हुई और ऐसे अभित्यजन का कारण अनावेदक का कार्य है। ऐसी स्थिति में ऐसे अभित्यजन के लिए अनावेदक ही जिम्मेदार है।

24. प्रकरण में आवेदिका के इस आशय के कथन रहे हैं कि उसका भविष्य में अनावेदक के साथ रहना संभव नहीं है। इस संबंध में माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **मंजू रजक वि० परविंदर सिंह 2010(2) जे.एल.जे. 372** में यह अभिमत दिया है कि क्रूरता के आधार पर जहाँ विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की गई है वहाँ

पक्षकारों के मध्य सुधार की संभावना नहीं है। वैवाहिक संबंध को लम्बे समय तक बढ़ाना घोर यंत्रणा तथा वेदना को बढ़ाना है और ऐसी स्थिति में विवाह को विघटित किया जाना चाहिए। साथ ही यह आधार भी लिया गया है कि पक्षकारों के मध्य हुए विवाद के कारण पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं हो, विवाह विच्छेद की याचिका पारित की जानी चाहिए।

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपने न्यायिक दृष्टांत **आर.बालासुब्रमनियन वि० श्रीमती विजयालक्ष्मी 2001 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 23** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध उसके चरित्र के बारे में अभिकथन एवं नवजात शिशु को देखने नहीं जाना पति के विरुद्ध क्रूरता और अभित्यजन का मामला सिद्ध करता है।

26. प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से आवेदिका संभाव्यता की हद तक यह प्रमाणित करने में सफल रही है कि अनावेदक द्वारा आवेदिका के प्रति शारीरिक व मानसिक क्रूरता की गई एवं अनावेदक ने अपने कृत्य के कारण आवेदिका को अभित्यक्त कर रखा है। ऐसी स्थिति में स्पष्टतः आवेदिका के पास अनावेदक से प्रथक रहने के पर्याप्त कारण थे और प्रकरण में आई साक्ष्य से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि आवेदिका अनावेदक से प्रथक निवास कर रही है।

27. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थिति में वादप्रश्न क्रमांक 1 व 2 का निराकरण 'हाँ' के रूप में एवं वादप्रश्न क्रमांक 3 का निराकरण 'नहीं' के रूप में किया जा रहा है।

#### **वाद प्रश्न क्रमांक 4 के संबंध में निष्कर्ष :-**

28. आवेदिका प्रस्तुत याचिका में अनावेदक के विरुद्ध अपनी ओर से लिए गए आधार प्रमाणित करने में सफल रही है। ऐसी स्थिति में आवेदिका अनावेदक के साथ अपना विवाह विच्छेदित कराने की अधिकारिणी है।

29. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थिति में वादप्रश्न क्रमांक 4 का निराकरण 'हाँ' के रूप में किया जा रहा है।

**वाद प्रश्न क्रमांक 4 के संबंध में निष्कर्ष :-**

30. अतः आवेदिका की ओर से प्रस्तुत यह विवाह विच्छेद याचिका स्वीकार करते हुए निम्नानुसार आज्ञाप्त की जाती है:-

1. आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य हुआ विवाह आज निर्णय दिनांक 14.09.2017 से विच्छेदित किया जाता है। आवेदिका एवं अनावेदक आज निर्णय दिनांक से पति पत्नी नहीं रहे हैं।
2. उभय पक्ष अपना अपना वादव्यय स्वयं वहन करेंगे।
3. अभिभाषक शुल्क प्रमाण पत्र अनुसार अथवा तालिका अनुसार जो भी कम हो रुपये 500/-रुपए की सीमा तक मान्य की जाती है।  
तदनुसार जयपत्र निर्मित किया जाये।

निर्णय आज दिनांकित हस्ताक्षरित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित  
किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर जिला न्यायाधीश गोहद  
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर जिला न्यायाधीश गोहद  
जिला-भिण्ड (म.प्र.)